रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06072026-274200
CG-MH-E-06072026-274200

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 422]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 01 जुलाई, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2026

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2026/304.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में,-

I. विनियम 9 में, उप-विनियम (9) में –

(क) शब्दों तथा चिह्नों "न्यासी जो प्रायोजक या प्रारंभकर्ता के नामनिर्देशिती हैं अथवा जो किसी प्रकार से प्रायोजक या प्रारंभकर्ता से अथवा प्रायोजक या प्रारंभकर्ता के रूप में उसी प्रबंधतंत्र में कंपनी से सहयुक्त हैं विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न सत्ता के न्यासी बोर्ड का आधे से अधिक गठित नहीं करेंगे, यथास्थिति ।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जो ट्रस्टी स्पॉन्सर (प्रायोजक) या ओरिजिनेटर (प्रारंभकर्ता) के नॉमिनी हों अथवा जो किसी भी तरह से स्पॉन्सर या ओरिजिनेटर से जुड़े हुए हों या उस कंपनी से जुड़े हुए हों जिसके प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) में वही व्यक्ति हों जो स्पॉन्सर या ओरिजिनेटर के प्रबंध-मंडल में भी हों, उनकी संख्या "अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी" (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी / विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल ट्रस्टीज़ की कुल संख्या के आधे से ज्यादा नहीं होगी:" आ जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि जहाँ ओरिजिनेटर (प्रारंभकर्ता) एक ऐसी एंटिटी हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आती हो, उसका "अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी" (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी / विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता) के बोर्ड में एक से ज्यादा प्रतिनिधि नहीं रहेगा और उस प्रतिनिधि के पास वीटो पावर भी नहीं होगी ।"

II. विनियम 10 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, किंतु उसके स्पष्टीकरण में कोई बदलाव नहीं होगा, अर्थात् –

"(3) "अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी" (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी / विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता) ऐसे किसी ओरिजिनेटर (प्रारंभकर्ता) से किसी भी तरह का कर्ज या रिसीवेबल हासिल (अर्जित) नहीं करेगी,

क) जो ट्रस्टी (न्यासी) के ही समूह (ग्रुप) का हिस्सा हो; या

ख) जिसका और ट्रस्टी का नियंत्रण एक ही हाथों में हो ।"

III. विनियम 10क में,-

(क) उप-विनियम (1) में, शब्द "ओरिजिनेटर" के स्थान पर शब्द "सर्विसर" आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) में,

i. शब्दों "ओरिजिनेटर ने जो सिक्यूरिटाइज़ेशन ट्रस्ट बनाया हो उसे" के स्थान पर शब्द "सिक्यूरिटाइज़ेशन ट्रस्ट को" आ जाएँगे;

ii. शब्दों "उसके सिलसिले में" के बाद, शब्द "सर्विसर" जोड़ा जाएगा ।

IV. विनियम 11 में, उप-विनियम (3) में –

(क) खंड (ज) में, शब्दों तथा चिह्नों "अंडरलाइंग आस्ति (एसेट) पूल के प्रदर्शन के संबंध में प्रारंभकर्ता से, कम से कम तिमाही आधार पर, आवधिक रिपोर्टें मंगायेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "अंडरलाइंग असेट पूल के परफॉर्मेंस के संबंध में सर्विसर से समय-समय पर (कम से कम एक तिमाही में एक बार) रिपोर्टें मंगाएगा" आ जाएंगे;

(ख) खंड (ञ) में,

i. शब्दों "इस संबंध में" के बाद दिए हुए शब्द "आरिजिनेटर" के स्थान पर शब्द "सर्विसर" आ जाएगा;

ii. शब्द "आरिजिनेटर द्वारा" हट जाएंगे ।

(ग) खंड (ट) में, शब्दों तथा चिह्नों "प्रारंभकर्ता या प्रारंभकर्ता के संपरीक्षक (संपरीक्षकों) से यथा प्राप्त ऐसी रिपोर्टों और संपरीक्षकों के प्रमाणपत्र को, उस साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के साथ साझा करेगा जो प्रतिभूत ऋण लिखत की रेटिंग कर रही हो;" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "सर्विसर या सर्विसर के लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) [ऑडिटर] से प्राप्त रिपोर्टें और लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) का प्रमाणपत्र, उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ साझा करेगा, जो सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कर रही हो;" आ जाएंगे।

V. विनियम 19क में, पहले परंतुक में, -

(क) शब्दों तथा चिह्नों "खंड (घ) और (ङ) में" के बाद और शब्दों "जिन शर्तों का जिक्र" से पहले दिए हुए शब्द "पिछले रिकॉर्ड से संबंधित" हट जाएंगे;

(ख) शब्द "खंड" के बाद और चिह्नों, अक्षरों तथा शब्दों "(घ) और (ङ) में" से पहले चिह्न तथा अक्षर "(क)," जोड़े जाएंगे ।

VI. विनियम 20 में,

(क) शब्दों "निम्नलिखित की दशा में स्कीम का परिसमापन किया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "निम्नलिखित में से यदि कुछ भी होता है, तो ऐसे में स्कीम बंद की जा सकेगी (उसका परिसमापन / उसे वाइंड-अप किया जा सकेगा)" आ जाएंगे;

(ख) खंड (ग) में, शब्दों, अंक तथा चिह्नों "विनियम 34 में यथा उपबंधित विशेष संकल्प द्वारा विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के मत द्वारा ।" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "यदि निवेशकों द्वारा मतदान करके इस संबंध में विनियम 34 के अनुसार विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित किया जाए; और" आ जाएंगे;

(ग) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"(घ) यदि बोर्ड निवेशकों के हित में ऐसा करने का निदेश दे ।"

VII. विनियम 45 में, उप-विनियम (2) में, -

(क) शब्दों तथा चिह्नों "न्यासी के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण का आदेश पारित करते समय, बोर्ड ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी रीति में विशेष प्रयोजन वाली सुभिन्न सत्ता की स्कीमों का परिसमापन करने का भी निदेश दे सकेगा जैसा निदेश दिया जाए ।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "ट्रस्टी के रजिस्ट्रेशन को निलंबित या रद्द करने का आदेश पारित करते समय, बोर्ड निर्धारित अवधि के भीतर और निर्धारित तरीके से उस ट्रस्टी के स्थान पर नया ट्रस्टी नियुक्त करने का निदेश भी दे सकेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द किया जा रहा हो ।" आ जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण हट जाएगा ।

VIII. अनुसूची-V में, खंड 5.0 में,

(क) मौजूदा उप-खंड (ठ) अब उप-खंड (ड) बन जाएगा;

(ख) उप-खंड (ट) के बाद, निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(ठ) एक ही असेट के सिक्यूरिटाइज़ेशन की वजह से होने वाला कन्संट्रेशन रिस्क ।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./191/2026-27]

टिप्पणी :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 [अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/12/126567] 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 5 मई, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2025 (अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/247) द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF SECURITISED DEBT INSTRUMENTS AND SECURITY RECEIPTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/304.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, namely: —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) (Amendment) Regulations, 2026.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, —

I. in regulation 9, in sub-regulation (9) -

(a) the symbol "." shall be substituted with the symbol ":";

(b) the following proviso shall be inserted, namely, -

"Provided that where the originator is an entity regulated by the Reserve Bank of India, it shall not have more than one representative on the board of the special purpose distinct entity and such representative shall not have veto power."

II. in regulation 10, sub-regulation (3) without existing explanation shall be substituted with the following, namely –

"(3) No special purpose distinct entity shall acquire any debt or receivables from any originator which is:

a) part of the same group as the trustee; or

b) under the same control as the trustee."

III. in regulation 10A –

(a) in sub-regulation (1), the word “originator” shall be substituted with the word “servicer”;

(b) in sub-regulation (2),

i. the word “originator” shall be substituted with the word “servicer”;

ii. the words and symbol “as made by the originator,” shall be omitted.

IV. in regulation 11, in sub-regulation (3) —

(a) in clause (h), the word “originator” shall be substituted with the word “servicer”;

(b) in clause (j) -

i. the word “originator” appearing after the words and symbols “auditor(s) of” shall be substituted with the word "servicer";

ii. the words and symbol “as made by the originator,” shall be omitted.

(c) in the clause (k), the word “originator”, appearing twice, shall be substituted with the word “servicer” in both places.

V. in regulation 19A, in the first proviso, —

(a) the words and symbol “of the track record,” appearing after the words “Provided that the conditions” and before the words “as specified in the”, shall be omitted;

(b) after the words “as specified in the clause” and before the words and symbols “(d) and (e)”, the words and symbols “(a),” shall be inserted.

VI. in regulation 20,

(a) after the words “in the event of” and before the words and symbol “the following:”, the words “any of” shall be inserted;

(b) in clause (c), the symbol “.” shall be substituted with the word and symbol “; and”;

(c) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely-

“(d) if the Board so directs in the interest of the investors.”

VII. in regulation 45, in sub-regulation (2), —

(a) the words “winding up of schemes of the special purpose distinct entity” shall be substituted with the words and symbol “the appointment of a new trustee in place of the trustee whose registration is suspended or cancelled,”;

(b) the Explanation shall be omitted.

VIII. in Schedule V, in clause 5.0,

(a) the existing sub-clause (l) shall be renumbered as sub-clause (m);

(b) after sub-clause (k), the following sub-clause shall be inserted namely, -

“(l) Concentration risk arising due to single asset securitisation.”

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./191/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India on May 26, 2008 vide notification no. LADNRO/GN/2008/12/126567 and was last amended on May 5, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/247.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA